Number of Migrant Workers Killed in Punjab

*184. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the workers, particularly from the State of Bihar, who migrate to Punjab during the harvesting season, become the target of terrorist violence in that State;

(b) if so, what was the total number of such workers who lost their lives in terrorist violence during the last five years;

(c) whether Government have paid any compensation to the next of kin of such workers;

(d) if so, what are the details thereof; and

(e) if the reply to part (c) above be in the negative, what remedial action Government propose to take to provide social security to the dependents of such victims?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) Yes, Sir.

(b) to (e) A statement containing information furnished by the Government of Punjab is laid on the Table of the House. [The Appendix CLV, Annexure No. 51]

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : सभापति महोदय, बिहार के मजदूर जो पंजाब में जाकर खेती में काम करते हैं उनकी आतंकवादियों के हाथों जो हत्याएं हुई हैं, उसके बारे में जो विवरण मैंने मांगा था उसके जवाब में जो विवरण दिया गया है वह बड़ा ही आश्चर्यजनक है । जहां 88-89 के बीच बिहार के 21 लोग मारे गये है उसमें सिर्फ 2 आदमियों को 20-20 हजार रुपये मुआवजा दिया गया है और 30 हजार रुपये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाना है उसके लिए रेस्ट 19 लोगों की अभी तक खोजबीन की जा रही है कि किसको दिया जाए या किसको नहीं दिया जाए । पहले 20 हजार रुपये उन्होंने किसको दिये थे और अभी तक उस मुआवजे को क्यों नहीं दिया गया है ? क्या ऐसी कोई कम्प्लेंट किसी मुआवजे के खिलाफ सरकार के पास आई है कि मुआवजा जिस आदमी को दिया गया है वह आदमी उस मृतक का रिश्तेदार या उस मुआवजे का हकदार नहीं बनता था ? यदि आई है तो उनकी संख्या कितनी है और कितना समय और लगेगा इनको मुआवजा देने में, यह बताने की कृपा करें ।

श्री सुबोध कांत सहाय : सभापति महोदय, जितने लोगों का दी गयी है वह सही है, क्योंकि उनके नजदीक के रिश्तेदार या इनकी सूची या जानकारी पंजाब के पास नहीं होने के चलते ही उन्हें नहीं दिया जा रहा है, इसमें डिले हो रहा है, । बिहार के जो डाइरेक्टर आफ रिलीफ थे वे पंजाब गये थे और दोनों के साथ बैठकर बातें हुई है । सरकार की यह सूचना है कि बड़ी संख्या में बिहार से वहां पर काम करने वाले मजदूर जाते हैं तो कोई बिहार सरकार का एक लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित पदाधिकारी वहां पद स्थापित करवाया जाए जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना हो तो उनका एक रिकार्ड रखकर उन्हें उसका मुआवजा उचित रूप से महया किया जा सके । स्थिति यह है, और गलत लोगों को दिये जाने की कोई सूचना सरकार के पास नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : सभापति महोदय, आय दिन देखा जाता है कि आतंकवादियों के बम फटने से कहीं किसी की मौत हो जाती है या कहीं कोमी दंगे हो जाते हैं तो शहर के हिसाब से जो घटनाएं घटती हैं उसमें 50 हजार या एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है । मैं मंत्री महोदय से अधिक माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि ये गरीब मजदर जो बिहार

से एक हजार किलोमीटर दूर जाकर खेतों में काम करते हैं और आतंकवादियों के हाथों गोलियों से मारे जाते है तो उनके साथ यह वैरता क्यों की जाती है? क्या केन्द्रीय सरकार की कोई ऐसी गाइड लाइन है कि ऐसी घटनाओं में मुआवजा देने के लिए इतना अमाउंट फिक्स्ड है, कम से कम इतना और ज्यादा से ज्यादा इतना और फिर क्या कम से कम और ज्यादा से ज्यादा के बीच आप कटेगराइज करते हैं ? कैसे आप मुआवजा देते हैं ? किसी को 20 हजार देते हैं, किसी को 50 हजार और किसी को एक लाख रुपय दे देते हैं तो इस तरह का जो सौतेलापन है इसको दूर करने के लिए आपने कोई विचार किया है या नहीं किया है ?

मेरा "ख" प्रश्न यह है कि इन माइग्रेंट लेबर्स के इन्श्योरेंस के बारे में केन्द्रीय सरकार क्या कुछ सोच रही है ? बिहार के एक लेबर अफसर को जो वहां काम करते हैं उनके लिए बैठायेंगे लेकिन इनके इन्श्योरेंस के बारे में कोई विचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे है ?

श्री सुबोध कांत सहाय : सभापति महोदय, यह राज्य सरकार अपना फैसला लेती है कि उनको रिलीफ या सहायता के तौर पर क्या दिया जाना है । पंजाब सरकार ने यह हर एक केस में फैसला लिया है, चाहे वह आतंकवादी से मारा जाता हो या पंजाब के लोग मारे जाते हों अथवा बाहर के लोग, 50 हजार रुपया देते है... (**व्यवधान**)...

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : क्या इसके पहले एक लाख रुपया किसी को नहीं दिया गया, यह आप कहना चाहते हैं । मैं आपको सैकड़ों इन्सटांसेज दे सकता हूं कि पंजाब सरकार ने एक लाख रुपया दिया है जो आतंकवादियों की गोलियों से मरे हैं । आप यह डिनाई करें कि नहीं दिया है और बिहार के मजदूरों के साथ जो यह और जिम्मेदाराना व्यवहार किया जा रहा है इसके बारे में बतायें ।

श्री सुबोध कांत सहाय : सभापति महोदय, मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि पंजाब सरकार अगर इस दिशा में कोई सोच करेगी तो हम लोग उन्हें इस तरह का निर्देश देंगे कि जिससे कि जो बिहार से या दूसरे विभिन्न राज्यों से वहां लोग जाते हैं, कम से कम उनकी सुरक्षा और उनके जान गंवाने पर उन्हें उचित मुआवजा दिया जा सके क्यों कि हम दोनों भाई बिहार के ही मजदूरी कर रहे हैं । ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : एक लाख रुपया मुआवजा आप क्यों नहीं फिक्स करते ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी प्रोटेक्शन चाहूंगा । हर सवाल का जवाब यह सही कहकर दे देते है कि मैं भी बिहार से हूं, वे भी बिहार से हैं, हम बाद में बात कर लेंगे । वहां पर राष्ट्रपति शासन है ,वहां केन्द्रीय सरकार का रूल चलता है, वहां स्टेट गवर्नमेंट का रूल नहीं चलता है । यह केन्द्रीय सरकार फैसला करे कि कितना रुपया मुआवजे में दिया जाएगा और इसके पहले आतंकवादियों की गोलियों से जो भी शिकार हुए है, उनको अगर एक लाख रुपया दिया गया है तो बिहारी मजदूरों को भी एक लाख रुपया देना पड़ेगा ।

श्री सभापति : यह आपकी बात को बहुत जोर से मिनिस्ट्री में रख देंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, एक तीसरा बिहारी खड़ा है । ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : और वह भी अटल ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, यह मांग बहुत पहले से हो रही है कि आतंकवादियों के हाथों मरने वालों को एक लाख रुपया मुआवजा दिया जाए । इसमें कोई भेदभाव नहीं है। मेरे बिहार के मित्र इसे भेदभाव का सवाल न उठाएं । पचास हजार की

हजार की रकम कम है और सब मामलों में एक लाख रुपय की राशि कम से कम मिलनी चाहिए । केन्द्रीय सरकार इस पर विचार करे ।

श्री सभापति : इस बात की अटल जी भी सपोर्ट कर रहे हैं, यह बता दीजिएगा मंत्री जी को ।

श्री शंकर दयाल सिंह : मान्यवर यह बात सही है .. (**व्यवधान**)

श्री सीताराम केसरी : अब असली बिहारी बोल रहा है ।

श्री सभापति : बिहारी मजदूरों का सवाल है ।

श्री शंकर दयाल सिंह : मान्यवर, सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी है कि बिहार के जो मजदूर पंजाब में जाकर आतंकवादियों के हाथों शिकार हो रहे हैं, उनका सवाल एक बिहारी सरदार ने यहां उठाया । मैं तो चाहूंगा कि उनको वहां ले जाकर तहकीकात करें और जाकर एक रिपोर्ट दें । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि बिहार के मजदूर आज दुनियां भर में फैले हुए हैं । मारीशस, सूरीनाम, फीजी . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री सभापति : मारीशस पर मत जाओ । पंजाब से मारीशस मत जाओ ।

श्री शंकर दयाल सिंह : ठीक है । सभी जगह की हरियाली के पीछे बिहार के मजदूरों का श्रम है । आज पंजाब देश का एक ऐसा प्रांत है जहां की हरियाली और पैदावार पर देश को फख्र है । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री सभापति : प्रश्न कीजिए ।

श्री शंकर दयाल सिंह : और उसमें बिहार के मजदूरों का श्रम है । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि एक तो जो इन्होंने 21 लोगों की मौत की फिगर दी है, वह मुझे गलत लगती है है क्यों कि पिछले दिनों एक-एक जगह आतंकवादियों के शिकार 16-16, 17-17 बिहारी श्रमिक हुए हैं जो अखबारों में एक साल के अंदर आता रहा है और एक साल का फिगर 100 से अधिक होगा । इसलिए माननीय मंत्री महोदय इसकी जांच करें । दूसरी बात यह है कि जो भी मजदूर जाते हैं, क्या उनका कोई रजिस्ट्रेशन होता है या नहीं ? यदि रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो पंजाब में उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए । तीसरी बात यह है मिनिमम वेजिज हर प्रान्त के लिए अलग-अलग निर्धारित है . . . (**व्यवधान**)

श्री सभापति : उनके मारे जाने की बात है, मिनिमम वेजिज पर मत जाइए ।

श्री शंकर दयाल सिंह : हां, उसी में मैं कह रहा हूं । तो मिनिमम वेजिज जो पंजाबी श्रमिकों को मिलता है, वही बिहार से जो मजदूर जाते हैं उनको भी मिलता है या नहीं ? इस पर भी सरकार को इन्क्वायरी करनी चाहिए । यह तीन बातें मैं जानना चाहता हूं ।

श्री सभापति : वह तो लेबर से संबंधित है, यह आप उनसे पूछिएगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने कहा है कि वे मजदूर हैं, तो जवाब दें ।

श्री सुबोध कांत सहाय : सभापति महोदय, अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन होने की परम्परा नहीं है । लेकिन माननीय सदस्य ने जिन बातों की तरफ इशारा किया है, पंजाब सरकार को इनसे अवगत करा दिया जाएगा ।

श्री सभापति : उनका कहना यह है कि जो टोटल है वह शायद छूट गए हैं, आप दोबारा देख लीजिए ।

श्री सुबोध कांत सहाय : सभापति महोदय, फिगर ठीक हैं, फिगर गलत नहीं हैं ।

श्री शंकर दयाल सिंह : टोटल बिहारी श्रमिक कितने हैं, यह है क्या सरकार के पास फिगर ? इसका मुझे जवाब चाहिए ।

श्री सभापति : आपके पास दूसरे फिगर्स हों तो बता दीजिए, वे ठीक कर लेंगे ।

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, इसमें दिक्कत यहां से हो रही है कि जो बिहार से मजदूर जाते हैं, अगर वहां जो मायग्रेट एक्ट है उसके मातहत उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए तब वे चलते हैं, तब तो पता चलेगा कि कौन मरा, कौन नहीं मरा । मेरे पास ऐसे केस हैं, पंजाब सरकार ने भी दिए जो मारे गए बिहारी । मैं तरनतारन गया और वहां से लेकर आया, लेकिन उनका हम पता लगा ही नहीं सकते । हमने अखबारों में विज्ञापन दिए, सब कुछ किया, लेकिन कौन मरे, कहां के थे, वह भी पता नहीं चलता । इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मायग्रेंट लेबर एक्ट के मातहत उसका इजिस्ट्रेशन हो जाए ।

श्री सभापति : अहलुवालिया जी ने भी यही कहा ।

श्री चतुरानन मिश्र : दूसरी बात यह है कि वे लोग वीकर सैक्शन के हैं इसलिए इनके लिए सरकार इंश्योरेंस करवा दे । इंश्योरेंस करने से यह लाभ होगा कि इनकी टोटल संख्या का पता चल जाएगा । महोदय, अभी यह स्थिति है कि हमारे यहां भेदभाव हो रहा है जिसे दूर किया जाना चाहिए । दिल्ली में और दूसरी जगहों पर भी ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हम जाति के नाम से तो नहीं बोलना चाहेंगे, आप समझ सकते हैं कि हमारी दिक्कत क्या है लेकिन ऐसा हो रहा है कि दो तरह का कम्पेंसेशन का रेट है । इससे आंतरिक मतभेद पैदा होता है । इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि एक ही मुआवजे का रेट सरकार निर्धारित करे जिससे किसी भी जाति के, धर्म के लोगों में भेदभाव न हो सके और उनका यह दुख दूर हो सके कि हमको नीचा समझकर यह भेदभाव किया जा रहा है । इन तीन बिंदुओं पर हम सरकार से सफाई चाहते हैं ।

श्री सभापति आपके तीन बिंदु हैं-- रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और एक सा कंपेंसेशन ।

श्री सुबोध कांत सहाय : सभापति महोदय, इन तीनों बिंदुओं पर राज्य सरकार से संपर्क स्थापित किया जाएगा और मैं आश्वासन देता हूं कि हम कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे और जो घटनाएं पंजाब में हो रही हैं उनको दृष्टि में रखते हुए विभिन्न राज्यों का पंजाब सरकार के साथ एक समन्वय बने, इसकी हम कोशिश करेंगे जिससे कि उस इलाके से आने वाले जो मजदूर हैं उनका कहीं न कहीं लेखा-जोखा हो सके । मैं आश्वासन देता हूं कि इन सारी चीजों पर हम राज्य सरकार के साथ वार्ता करेंगे ।

श्री चतुरानन मिश्र : राज्य सरकार तो आप ही हैं । आप सदन के सामने ऐसा क्यों कह रहे हैं ... (**व्यवधान**)

श्री रजनी रंजन साहु : इंश्योरेंस का कवरेज तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रश्न है । वीकर सैक्शन का कवरेज आप केन्द्रीय सरकार से ही कीजिए ।

MR. CHAIRMAN: He wil consider it.

SHRI CHATURANAN MISHRA: It is a question of the Central Government and the Central Government should decide. They are going to other places to work.

श्री सभापति : ठीक है, यह संबंधित मिनिस्टर से बात कर लेंगे ।

श्री दयानन्द सहाय : मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं .. (**व्यवधान**)

श्री सभापति : वह आप बाद में दे दीजियेगा

दहेज के कारण हुई मौतें

*185. **श्री संतोष बागड़ोदिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष में तदनुरूपी अवधि की तुलना में जनवरी, 1990 से आज तक दहेज के कारण हुई मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) 1987, 1988, 1989 में दहेज के कारण कितनी मौतें हुई; और

(ग) सरकार इस खतरे को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) 1987 से 1990 की प्रथम छमाहियों के दौरान दर्ज किए गए "दहेज के कारण हुई मौतों" के उपलब्ध आंकड़े में सभा पटल पर रखता हूं

1987 से 1989 तक के वर्षों के दौरान सूचित किए गए दहेज के कारण हुई मौतों की संख्या निम्न प्रकार है :

1987 . . .	1,912
1988 . . .	2,209
1989 . . .	4,006

(ग) दहेज के कारण हुई मौतों सहित अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच पड़ताल करना, पता लगाना तथा उनकी रोकथाम करना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है और वे महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों के प्रति अपराधों के निवारण और अपराध संबंधी मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कदम उठाते हैं।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को और अधिक सख्त बनाने के लिए इसे 1984 और 1986 में संशोधित किया गया। दहेज के कारण मौतों के मामलों को और अधिक प्रभावकारी ढंग से निपटाने के लिए भारतीय दंड, संहिता, दंड प्रक्रिया, संहित 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को संशोधित किया था ।

विवरण

वर्ष 1989 और 1990 के प्रथम छः महीने के दौरान दर्ज किये गये दहेज के कारण हुई मौतों के आंकड़े

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दहेज-मृत्यु (1989)	दहेज-मृत्यु (1990)	तक की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश . . .	191	41	फरवरी, 1990
2.	अरुणाचल प्रदेश . . .	—	—	मई, 1990
3.	असम	8	4	मार्च, 1990
4.	बिहार	108	उ. न.	
5.	गोवा	—	—	